तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No. 133/2023	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
07.6.2024	पत्रावली पेश हुई। श्री दिलीप सिंह यादव, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही अनुपस्थित। प्रतिवादी संख्या–1 (एक) दामोदर पुत्र छोगाराम जी, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, फर्म अमीचन्द चुन्नीलाल, सुथारों का वास, नया सानवाडा, तहसील– पिण्डवाडा, जिला– सिरोही अनुपस्थित। प्रतिवादी संख्या–2 (दो) बस्तीमल भाटी, खाद्य कारोबारकर्ता एवं प्रोपराईटर, फर्म माही एजेन्सी, फतेहनगर, केसरपुरा, शिवगंज, जिला– सिरोही अनुपस्थित। आवेदक श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यह न्याय निर्णयन आवेदन प्रतिवादीगण के विरुद्ध आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीप सिंह यादव द्वारा दिनांक 12.3.2023 को फर्म अमीचन्द चुन्नीलाल, सुथारों का वास, नया सानवाडा, तहसील– पिण्ड़वाडा, जिला– सिरोही में प्रतिवादी दामोदर पुत्र छोगाराम जी से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच कीमतन क्रय किये गये खाद्य पदार्थ सूजी (माही गोल्ड) का नमूना संख्या S-2054 खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट क्रमांक:L.S./583/Act/2023/627 दिनांक 27.3.2023 में मिथ्याछाप खाद्य (misbranded food) पाया जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) व धारा 52 के तहत प्रस्तुत कर प्रतिवादीगण पर जुर्माना आरोपित करने का अनुरोध किया गया है। प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को विधिवत नोटिस जारी कर तामिल करवाये गये। जिस पर प्रकरण में नियत सुनवाई तिथि 22.12.2023 को प्रतिवादी संख्या–1 (दामोदर) ने इस न्यायालय में उपस्थित होकर जुर्म स्वीकारोक्ति का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रकरण के निस्तारण का अनुरोध किया। प्रकरण में नियत सुनवाई तिथि 09.4.2024 को प्रतिवादी संख्या–1 (बस्तीमल भाटी) ने उपस्थित होकर लिखित जवाब प्रस्तुत किया। उसके बाद प्रतिवादीगण इस न्यायालय में उपस्थित नही हुये। प्रतिवादी संख्या–2 (बस्तीमल भाटी) द्वारा प्रस्तुत जवाब में यह अंकित किया गया है कि मैं शिवगंज कस्बे में छोटा व्यापारी हूँ व सूजी को क्रय करके उनको रीपेक करने का व्यापार करता हूँ जिसमें सम्पूर्ण माल आगे वाले व्यापारी से क्रय करके अपना ब्राण्ड से बिक्री करता हूँ। मुझे कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही से एक पत्र प्राप्त हुआ जिसमें श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मेरे ग्राहक अमीचंद जी, नया सनवाडा से दिनांक 12.3.2023 को मेरे प्रोडक्ट सूजी (माही ग्रोल्ड) का सेंपल किया गया जिसें मिस ब्राण्ड किया गया। मैं सम्पूर्ण माल आगे वाले व्यापारी से लेकर उसे अपने ब्राण्ड से रिपेक करता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा पता नही कि व्यापारी मुझे ऐसा माल दे रहा है जो मिसब्राण्ड श्रेणी का है, जिसमें मेरी कोई गलती नही है। जिस व्यापारी से माल खरीदा उसके क्रय का बिल ... साथ प्रस्तुत कर रहा हूँ। प्रकरण में बहस हेतु नियत दिनांक 29.5.2024 को श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित हुये। प्रकरण में नियत दिनांक ... लगातार	

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Rai Sapela
Date: 2024.09.05 11:51:53 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय प्रांत० जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज०)
प्रांत. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001.

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No. 133/2023

29.5.2024 को प्रतिवादीगण उपस्थित नही हुये। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीप सिंह यादव की दिनांक 29.5.2024 को बहस सुनी गई, जिन्होनें बहस के दौरान न्याय निर्णयन आवेदन में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि प्रतिवादीगण ने मिथ्याछाप खाद्य पदार्थ सूजी (माही गोल्ड) का विक्रय करके उक्त अधिनियम की धारा 26 की उपधारा 2(2) का उल्लंघन किया है, अतः उक्त अधिनियम की धारा 52 के तहत प्रतिवादीगण पर जुर्माना आरोपित किया जावे।

मैनें पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही खाद्य पदार्थो के निरीक्षण हेतु दिनांक 12.3.2023 को समय 11.15 ए.एम. पर फर्म अमीचन्द चुन्नीलाल, सुथारों का वास, नया सानवाडा, तहसील– पिण्ड़वाडा, जिला– सिरोही पर गये, जहां पर खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक की हैसियत से प्रतिवादी दामोदर पुत्र छोगारामजी, जाति– माहेश्वरी, निवासी– सुथारों का वास, नया सानवाडा, तहसील– पिण्ड़वाडा, जिला– सिरोही उपस्थित मिलें, जो खाद्य पदार्थ सूजी (माही गोल्ड) का आम जनता को विक्रय करता है। श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निरीक्षण के दौरान आम जनता को विक्रय किये जाने वाले खाद्य पदार्थ सूजी (माही ब्राण्ड) में मिलावट का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत जांच हेतु नमूना लेने की इच्छा जाहिर करते हुए इसकी सूचना प्रपत्र 5ए में प्रतिवादी विक्रेता दामोदर पुत्र छोगाराम जी को भरकर दी एवं रसीद प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीप सिंह यादव ने फर्म अमीचन्द चुन्नीलाल, सुथारों का वास, नया सानवाडा की दुकान के अन्दर आम जनता के विक्रय हेतु रखे हुये खाद्य पदार्थ सूजी (माही गोल्ड) के 40 पैक्ड पैकेट (प्रत्येक 500 ग्राम) में से खाद्य पदार्थ सूजी (माही गोल्ड) के 4 पैक्ड पैकेट (प्रत्येक 500 ग्राम) को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत नमूना जांच हेतु खरीदा एवं खाद्य पदार्थ सूजी (माही गोल्ड) की कीमत राशि रुपये 160/– (अक्षरे रुपये एक सौ साठ मात्र) प्रतिवादी विक्रेता दामोदर पुत्र छोगाराम जी को नकद अदा कर खरीद रसीद/बिल प्राप्त किया। श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने लेबल तैयार कर लेबल पर अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) के कोड एवं क्रमांक S-2054, दिनांक, स्थान, खाद्य पदार्थ सूजी (माही गोल्ड) आदि अंकित कर उस पर प्रतिवादी विक्रेता दामोदर के हस्ताक्षर कराये एवं स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीप सिंह यादव ने हस्ताक्षर किये। खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीप सिंह यादव ने खरीदशुदा खाद्य पदार्थ सूजी (माही ब्राण्ड) के चारों पैक्ड पैकेटो पर पर एक–एक लेबल गोंद से चिपकाया तथा प्रत्येक नमूना भाग पर अभिहित अधिकारी के हस्ताक्षर युक्त पेपर स्लिप कोड एवं एवं क्रम संख्या S-2054 ऊपर से लेकर नीचे तक गोंद से चिपकाई। प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील

......लगातार

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001.

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Rai Sapela
Date: 2024.09.05 11:51:53 IST
Reason: SelfAttested

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No. 133/2023	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए

चपडी किया गया। प्रत्येक नमूना भाग पर प्रतिवादी विक्रेता दामोदर पुत्र छोगाराम जी के हस्ताक्षर कराये तथा श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी स्वयं ने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् चारों नमूना भागों को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कब्जे/जाप्ते में लिया तथा मौका रिपोर्ट तैयार की, जिस पर प्रतिवादी दामोदर पुत्र छोगाराम जी तथा श्री दिलीप सिंह यादव, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर किये हुये है। तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीप सिंह यादव ने कार्यालय में पॅहुचकर फार्म नम्बर VI की प्रतियां तैयार की व उस पर नमूनें को सील्ड करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की। नमूना के चारों भागों के साथ फार्म नम्बर VI की एक–एक प्रति लगाकर चारों नमूना भागों को आउटर कवर में बंद किया व नियमानुसार सील चपडी किया तथा फार्म नम्बर VI की दो–दो प्रतियां दो लिफाफो में अलग–अलग बन्द कर गोंद से चिपकाकर लिफाफों को सील चपडी किया। श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक 14.3.2023 को नमूनें का एक भाग व फार्म नम्बर 6 का एक सील बन्द लिफाफा श्री विश्वजीत सिंह, कार्मिक, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के द्वारा खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की एवं दिनांक 12.3.2023 को शेष तीन नमूना भाग व फार्म नम्बर 6 का सील बन्द लिफाफा अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। इस प्रकार, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा फर्म अमीचन्द चुन्नीलाल, सुथारों का वास, नया सानवाडा में प्रतिवादी विक्रेता दामोदर पुत्र छोगाराम जी से खाद्य पदार्थ सूजी (माही गोल्ड) को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच क्रय करने की कार्यवाही विधिवत की गई है। प्रकरण में खाद्य विश्लेषक, जोधपुर से खाद्य पदार्थ सूजी (माही गोल्ड) के नमूना संख्या S-2054 की प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक:L.S./583/Act/2023/627 दिनांक 27.3.2023 के अनुसार खाद्य पदार्थ सूजी (माही गोल्ड) का नमूना मिथ्याछाप खाद्य (misbranded food) पाया गया। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 27 में विक्रेता, थोक विक्रेता, वितरक व निर्माता के दायित्व दिये हुए है। इस प्रकार, प्रकरण में यह तथ्य स्पष्ट है कि प्रतिवादी दामोदर पुत्र छोगाराम जी, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, फर्म अमीचन्द चुन्नीलाल, सुथारों का वास, नया सानवाडा, तहसील–पिण्डवाडा, जिला– सिरोही एवं प्रतिवादी बस्तीमल भाटी, खाद्य कारोबारकर्ता एवं प्रोपराईटर, फर्म माही एजेन्सी, फतेहनगर, केसरपुरा, शिवगंज, जिला– सिरोही द्वारा मिथ्याछाप खाद्य (misbranded food) सूजी (माही गोल्ड) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है, जो उक्त अधिनियम की धारा 52 के तहत जुर्माने योग्य अपराध है।

.....लगातार

न्यायालय अति० जिला कलेक्टर सिरोही (राज०)

अति. जिला कलेक्टर
सिरोही–307001.

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Rai Sapela
Date: 2024.09.05 11:51:53 IST
Reason: SelfAttested

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No. 133/2023	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए

आदेश

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उपधारा (1) के तहत राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प. 1(2)कार्मिक/क–4/08 दिनांक 05.4.2012 के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा– 52 के तहत मिथ्याछाप खाद्य (Misbranded food) सूजी (माही गोल्ड) के विक्रय हेतु प्रतिवादी दामोदर पुत्र छोगाराम जी, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, फर्म अमीचन्द चुन्नीलाल, सुथारों का वास, नया सानवाडा,, तहसील– पिण्ड़वाडा, जिला– सिरोही पर राशि रुपये 15,000/– (अक्षरे रुपये पन्द्रह हजार मात्र) की एवं मिथ्याछाप खाद्य (Misbranded food) सूजी (माही गोल्ड) के विक्रय व पैकिंग हेतु प्रतिवादी बस्तीमल भाटी, खाद्य कारोबारकर्ता एवं प्रोपराईटर, फर्म माही एजेन्सी, फतेहनगर, केसरपुरा, शिवगंज, जिला– सिरोही पर राशि रुपये 35,000/– (अक्षरे रुपये पैतीस हजार मात्र) की शास्ति (Penalty) अधिरोपित की जाती है। साथ ही, प्रतिवादी दामोदर पुत्र छोगाराम जी, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, फर्म अमीचन्द चुन्नीलाल, सुथारों का वास, नया सानवाडा एवं प्रतिवादी बस्तीमल भाटी, खाद्य कारोबारकर्ता एवं प्रोपराईटर, फर्म माही एजेन्सी, फतेहनगर, केसरपुरा, शिवगंज, जिला– सिरोही को आदेशित किया जाता है कि उन पर अधिरोपित शास्ति (Penalty) की राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के पक्ष में अलग अलग Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरोही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के कार्यालय में 15 दिन के भीतर जमा करवाये। निर्णय सुनाया गया। निर्णय की प्रति आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं प्रतिवादीगण को प्रेषित की जावे। मिसल वास्ते जमा होने जुर्माना राशि डी.डी. आयन्दा दिनांक 05.7.2024 को पेश हो।

(डॉ. दिनेश राय सापेला)

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001.

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Rai Sapela
Date: 2024.09.05 11:51:53 IST
Reason: SelfAttested